भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1214

जिसका उत्तर 10.12.2025 को दिया जाना है

राष्ट्रीय राजमार्ग नियंत्रण (भूमि और यातायात) अधिनियम, 2002 का प्रवर्तन

1214. डा. अजित माधवराव गोपछड़ेः

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) राष्ट्रीय राजमार्ग नियंत्रण अधिनियम, 2002 की धारा 3 के अंतर्गत पंजीकृत मामलों की कुल संख्या कितनी है और राजमार्गों को हुए नुकसान के लिए जिम्मेदार पक्षों से वसूली गई मरम्मत लागत का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि उक्त अधिनियम के सख्त कार्यान्वयन से राष्ट्रीय राजमार्ग की परिसंपत्तियों को होने वाली अपरिहार्य क्षति को रोकने में मदद मिलेगी; और

(ग) पर्याप्त राजस्व उत्पन्न करने की संभावना को देखते हुए, सरकार या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) द्वारा एनएचएआई की भूमि से गुजरने वाली विद्युत, जल, गैस या दूरसंचार जैसी उपयोगिता सेवा प्रदाताओं पर शुल्क लगाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) और (ख) राष्ट्रीय राजमार्ग नियंत्रण (भूमि और यातायात) अधिनियम, 2002 की धारा 3 राजमार्ग प्रशासन की स्थापना से संबंधित है और मरम्मत लागत की वसूली अधिनियम की धारा 27 के साथ पठित धारा 36 के तहत की जाती है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, पिछले तीन वर्षों में राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएचएस) के नुकसान का कोई मामला सामने नहीं आया है। सरकार उक्त अधिनियम के प्रावधानों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करती है।

(ग) सरकार का सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने पत्र संख्या आरडब्ल्यू/एनएच-33044/28/2015/एसएंडआर(आर) दिनांकित 22.11.2016 और इसके पश्चात् के संशोधनों के माध्यम से राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ-साथ और उनके पार जन और औद्योगिक उपयोगिता सेवाओं की सुविधा के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग नियंत्रण (भूमि और यातायात) अधिनियम, 2002 के धारा 38 के तहत व्यापक दिशानिर्देश जारी किए। इन दिशानिर्देशों के तहत, राष्ट्रीय राजमार्ग मार्गाधिकार (आरओडब्ल्यू) के प्रयोग के लिए मानदंडों और शुल्कों का विवरण निर्दिष्ट किया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग मार्गाधिकार में जनोपयोगी और औद्योगिक सुविधाओं के समायोजन की अनुमति दी जाती है, जो मानदंडों को पूरा करने और राष्ट्रीय राजमार्गों के मार्गाधिकार अपेक्षित शुल्क जमा करने के अध्यधीन है।

*****